न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2016

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. हेमन्त (ना.बा.) पुत्र गिरिराज, जाति मीणा, सा. जगन्नाथपुरा, तह0 व जिला बारा (राज)
2. उर्मिला बेवा गिरिराज, जाति मीणा, सा. जगन्नाथपुरा, तहसील व जिला बारां (राज)

2– प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. शाखा बारां

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 01.08.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जगन्नाथपुरा में नामा. सं. 434 निर्णय दिनांक 19.11.2014 से ख.नं. 99 रकबा 0.70 है. केता हेमन्त (ना.बा.) पुत्र गिरीराज, उर्मिला बेवा गिरीराज जाति मीना, निवासी जगन्नाथपुरा के पक्ष में दिनांक 16.05.2002 पु.सं. 1 जि.सं. 86, पृ. सं. 797 कम सं. 672 पर उप पंजीयक द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामां. खोलते समय सहवन से ख. नं. 99 रकबा 0.70 है. पर पूर्व से ही एस.बी.बी.जे. शाखा बारां में रहन दर्ज होते हुए नामां. केता के पक्ष में दर्ज कर दिया है। अतः नामां. सं. 434 दि. 19.11.2014 रहनमुक्त हुए बिना दर्ज किया गया है जो निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

2– प्रार्थना पत्र पे[illegible], अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना [illegible] अनुपस्थित रहे हैं। अतः हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की [illegible] का विनिश्चिय किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:03 IST
Reason: SelfAttested

3– हमने एक पक्षीय बहस पेरोका[illegible] सरकार की सुनी। ब[illegible] दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

पत्र के आधार पर नामां. खोलते समय सहवन से ख. नं. 99 रकबा 0.70 है. पर पूर्व से ही एस.बी.बी.जे. शाखा बारां का रहन दर्ज होते हुए बिना रहन मुक्त कराये नामां. क्रेता के पक्ष में दर्ज कर दिया है। अतः नामां. सं. 434 दि. 19.11.2014 निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

4— हमने एक पक्षीय पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि विक्रय की गयी आराजी पर विक्रय के समय एस.बी.बी.जे. शाखा बारां का रहन दर्ज था जिसकी पुष्टि जमाबंदी खाता संख्या नया 127 पुराना 123 ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2071—74 तथा नामां. सं. 434 दिनांक 19.11.2014 की प्रमाणित प्रतियों से होती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

5— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, ग्राम जगन्नाथपुरा का नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 19.11.2014 निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 01.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:03 IST
Reason: SelfAttested